बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना

वित्तीय वर्ष 2024–25

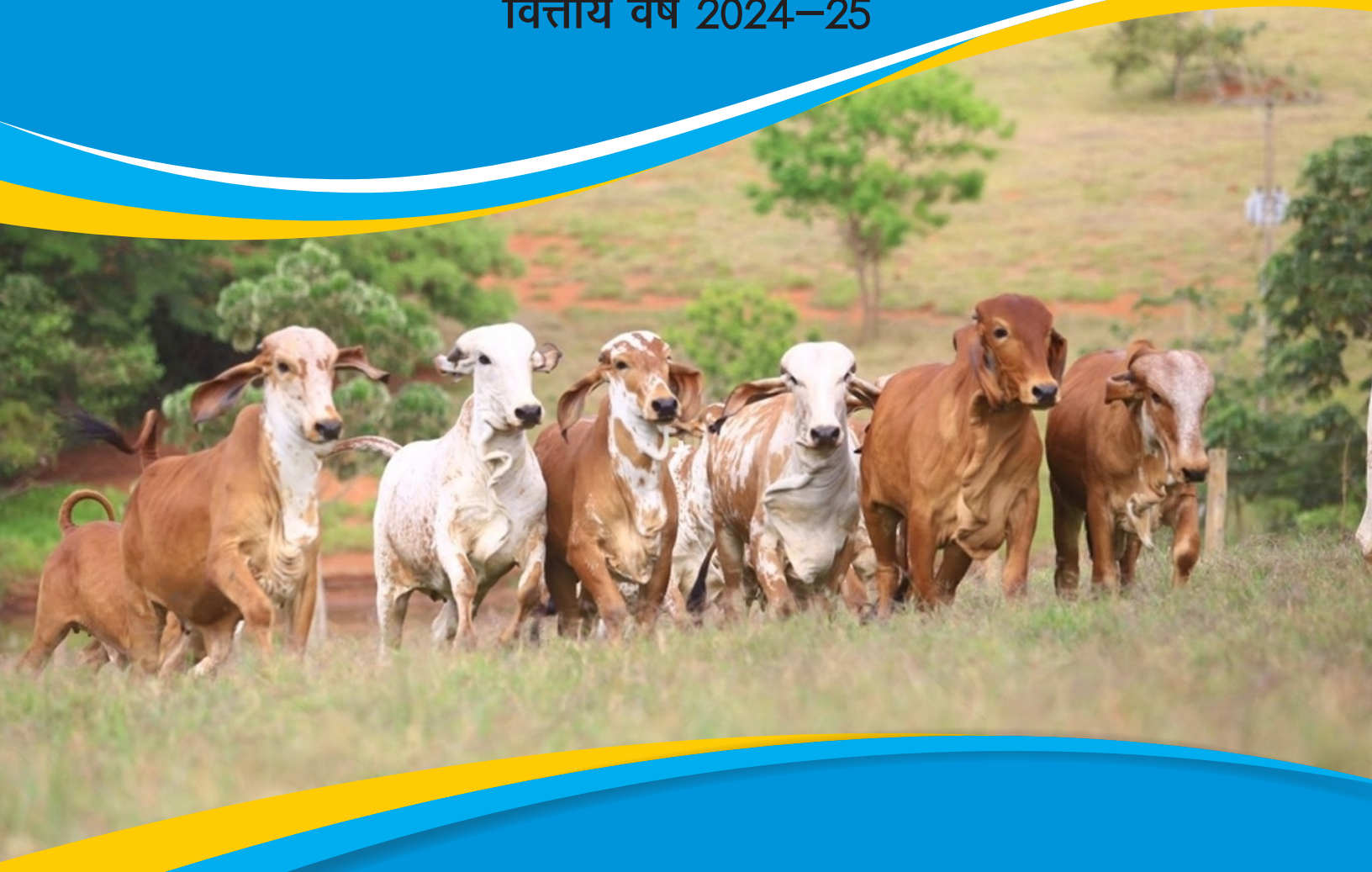

बिहार सरकार द्वारा 02 एवं 04 देशी गाय/हिफर के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 75% तथा अन्य सभी वर्गों के लिए 50% (अनुदान)
अनुमान्य अनुदान पर आय एवं रोजगार सृजन का सुनहरा अवसर।

गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

श्रीमती रेणु देवी
माननीय मंत्री
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

बिहार सरकार

संदेश

राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार सृजन में गव्य विकास कार्यक्रमों की अहम भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत देशी गाय के सम्वर्द्धन एवं संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में गव्य विकास निदेशालय द्वारा "देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य में देशी गायों के सम्वर्द्धन हेतु राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों को देशी गाय/हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) उपलब्ध कराकर राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं पशुपालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ देशी गायों की संख्या में वृद्धि करना है।

देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में 02 एवं 04 देशी गाय/हिफर की डेयरी इकाई स्थापित करने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभूकों को 75 प्रतिशत तथा शेष वर्गों के लाभूकों को 50 प्रतिशत अनुदान देकर प्रोत्साहित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार का सृजन करने के साथ–साथ पौष्टिक आहार के रूप में दूध एवं दुग्ध जन्य उत्पाद की उपलब्धता को पूरा किया जायेगा।

सभी से अनुरोध है कि देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत अपने मनोनुकूल देशी गाय/हिफर की डेयरी इकाई स्थापित करें एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान का लाभ उठायें तथा अपने एवं राज्य के विकास में योगदान के साथ–साथ देशी गौपालन को प्रोत्साहित करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपलकों/बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने एवं उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करने में सफल होगा। साथ ही आम जनों को उच्च गुणवत्ता के पौष्टिक दुग्ध उपलब्ध हो सकेगा।

रेणु देवी
(रेणु देवी)

डॉ. एन. विजयलक्ष्मी, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

संदेश

बिहार राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान सराहनीय है, जिसकों सुदृढ़ करने हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (गव्य विकास) अंतर्गत कई विकासोन्मुखी योजना संचालित की जाती है। विभाग द्वारा गव्य विकास निदेशालय के माध्यम से राज्य में देशी गायों की संख्या में वृद्वि कर दूध की उत्पादकता में वृद्वि करने हेतु देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के सभी वर्गो के भूमिहीन/कृषकों/लघु कृषक/शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को बड़ी संख्या में देशी गाय/हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) की इकाई स्थापित करने पर विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में 02 एवं 04 देशी गाय/हिफर की डेयरी इकाई स्थापित करने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के लाभुकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के लाभुको को 50 प्रतिशत अनुदान देकर प्रोत्साहित करने की देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विगत वर्षो में डेयरी प्रक्षेत्र की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्वि हुई है। पौष्टिक आहार के रूप में दूध एवं अन्य उत्पाद की उपलब्धता को पूर्ण करने के लिए देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना मील का पत्थर साबित होगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना से राज्य में पौष्टिक दूध उत्पादन में वृद्वि होगी तथा डेयरी प्रेक्षत्र के कृषकों के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान होगें।

(डॉ. एन. विजयलक्ष्मी)

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत सात निश्चय–2 के तहत देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देशिका

मार्ग निर्देशिका

1. **योजना का नाम :** देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना

2. **योजना का उद्देश्य :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में देशी गायों के सम्वर्द्धन हेतु राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्व–रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें विकास के मुख्यधारा में शामिल करना है ताकि उनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उत्थान हो सके एवं राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें।

   इस योजना के अन्तर्गत देशी नस्ल के 02, एवं 04 देशी गाय/बाछी–हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) की डेयरी इकाई की स्थापना पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत एवं अन्य सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।

3. **कार्यक्षेत्र :** राज्य के सभी जिलों में।

4. **पात्रता :** राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन/कृषकों/लघु कृषक/सीमांत कृषक/गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक/शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को शामिल किया जायेगा।

5. **योजना का क्रियान्वयन :** योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा।

6. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस योजना में आवेदन पत्र गव्य विकास निदेशालय के वेबसाईट dairy.bihar.gov.in पर भरे जायेंगें। इस योजनान्तर्गत विगत वर्ष में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से वैसे योग्य आवेदक जिन्हें योजना का लाभ प्राप्त नही हो सका है, वैसे आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना का लाभ दिया जायेगा।

7. इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जायेगी, जिसके सदस्य निम्न होंगे :

   - जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी–सदस्य सचिव
   - उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी – सदस्य

8. स्क्रीनिंग समिति की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी, जिसमें क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/जाँच कर आवेदक के साक्षात्कार में ऋण आवेदन को स्वीकृति से संबंधित निर्णय लिया जायेगा एवं स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा। ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक का यह दायित्त्व होगा कि अनुशंसित आवेदनों पर एक माह के अन्दर निर्णय लेते हुए आवेदक एवं संबंधित जिला के अग्रणी बैंक तथा जिला गव्य विकास कार्यालय को सूची के साथ सूचना उपलब्ध करायेंगे।

9. लाभूकों द्वारा स्वीकृत डेयरी इकाई अन्तर्गत देशी गायों/बाछी–हिफर का क्रय अधिकृत पशु आपूर्त्तिकर्त्ता/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी सर्विस द्वारा राज्य के बाहर से लाये गये देशी गायों/बाछी–हिफर में से, गठित क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। पशुपालक राज्य के बाहर से भी पशु का क्रय कर सकते हैं।

10. दुधारू मवेशियों का क्रय, क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। क्रय समिति में संबंधित बैंक के प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि, जिला गव्य विकास पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि, संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि पशु चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि होंगे।

11. योजना अंतर्गत किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत निर्धारित लागत व्यय से अधिक होने पर भी अनुदान का भुगतान परियोजना शर्त्त के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि का वहन लाभूकों को स्वयं करना होगा। लाभूकों द्वारा किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत आंशिक रूप में किये जाने की स्थिति में अनुदान का भुगतान भी अनुपातिक रूप से किया जायेगा। साथ ही अनुदान का वितरण Back ended होगी एवं पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

12. लाभूकों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् मवेशी क्रय (Asset creation) के बाद निर्धारित नियम के अनुसार अनुदान की राशि विमुक्त करने हेतु दावा विपत्र आवेदक के ऋण खाता संख्या एवं उसके खाते में Disburse की गई राशि अंकित करते हुए संबंधित जिला के क्रियान्वयन एजेंसी को अन्य कागजात के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि संबंधित जिले के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जाँचोपरांत प्रमाण–पत्र अंकित करते हुए अनुदान विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

13. इस योजना के तहत आवेदकों का चयन में (i) विभाग द्वारा प्रशिक्षित आवेदकों (ii) दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों एवं (iii) जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े व्यक्तियों को क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

14. इस योजना के आवेदकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

15. इस योजना के तहत निर्धारित अनुदान लाभूकों को दोनों स्थिति में देय होगा। यदि लाभूक बैंक से ऋण ले अथवा स्वलागत से क्रय करें। स्वलागत से डेयरी इकाई की स्थापना करने वाले लाभूकों को योजना लागत की पूर्ण राशि उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी यथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन (Asset creation) के पश्चात् ही अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा। पशु क्रय के समय लाभूक एवं क्रय समिति के सदस्यों का एक संयुक्त फोटाग्राफी किया जायेगा। दुधारू मवेशी के क्रय के समय मवेशी का डाटा ईयर टैग निश्चित रूप से लगाना होगा तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि मवेशी में ईयर टैग लगा दिया गया है।

16. स्वलागत में दुधारू पशु का क्रय एक ही बार अथवा फेजबार (दो बार) करने के लिए लाभूक स्वयं स्वतंत्र होंगे। साथ ही साथ बैंक से स्वीकृत योजना में भी लाभूकों को स्वतंत्र अधिकार होगा कि वे एकबार में पूरी योजना का लाभ लेंगे अथवा किस्तबार (दो बार)।

17. लाभुकों द्वारा योजना का संवर्द्धन कम से कम 03 वर्षो तक करना होगा यदि ऐसा नही किया जाता है तो उपलब्ध करायी गयी विभागीय अनुदान की राशि एक मुश्त वापस करने की कार्रवाई की जाएगी।

18. इस योजना के तहत 04 देशी गाय/बाछी–हिफर की इकाई की स्थापना हेतु कम से कम 15 (पन्द्रह) डिसमिल अपनी जमीन या लीज की जमीन हो ताकि वे हरा चारा का उत्पादन कर सकें।

19. डेयरी इकाई की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के उपरान्त न तो डेयरी इकाई स्थापित की जायेगी और न ही लाभूकों/बैंक द्वारा अनुदान का दावा मान्य होगा। बैंक से प्राप्त दावा विपत्र के आलोक में लाभूकों को अनुदान का लाभ पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

निदेशक
गव्य विकास निदेशालय
बिहार, पटना

प्रोजेक्ट–रिपोर्ट (2024–25)

एनेक्सचर–1

02 देशी गाय/बाछी–हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) योजना की आर्थिक रूप–रेखा

1	**आधारभूत मान्यताएँ:**	उन्नत नस्ल की प्रत्येक देशी गाय, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक गाय 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की देशी गाय/बाछी–हिफर का ही क्रय किया जायेगा।		
2	**तकनिकी मापदण्ड:**			
	एक इकाई में कुल देशी गाय की संख्या			2
	प्रत्येक देशी गाय का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन			12 लीटर
3	**प्रति देशी गाय प्रतिदिन चारा की आवश्यकता:**			
	(1) दूध देने की अवधि में–	हरा चारा –		20 कि. ग्रा.
		सुखा चारा–		5 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार–		5 कि. ग्रा.
	(2) विसुखी अवधि में–	हरा चारा –		15 कि. ग्रा.
		सुखा चारा–		7 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार–		1 कि. ग्रा.
4	**वित्तीय गणना:**			
	एक देशी गाय की कीमत –			रू. 1,00,000/–
	प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य–			रू. 50/–
	संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि. ग्रा.–			रू. 24/–
	हरा–चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.–			रू. 5/–
	सूखा–चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.–			रू. 7/–
	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति मवेशी–			रू. 3,000/–
	प्रति गनी बैग बिक्री से आय–			रू. 20/–
	प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी)–			रू. 3,000/–

योजना की रूप रेखा प्रति इकाई 02 देशी गाय/बाछी–हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर)

(I) **पूँजीगत खर्च:**

1.	देशी गाय–02	प्रति देशी गाय ₹1,00,000 की दर से (प्रति वियान 3,500 लीटर दूध देने की क्षमता) (2 X 10,000.00)	2,00,000/–
2.	पशु बीमा(ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से ₹2,00,000 X 6%	12,000/–
3.	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		30,000/–
		कुल राशि	2,42,000/–

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखा

क्र.	विवरण	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनु. जाति/जनजाति	शेष वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय–	₹ 2,42,000/–	₹ 2,42,000/–
2.	लाभूक का अंशदान–	₹ 12,100/– (5%)	₹ 24,200/– (10%)
3.	बैंक ऋण –	₹ 2,29,900/– (95%)	₹ 2,17,800/– (90%)
4.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान–(Back Ended)	₹ 1,81,500/– (75%)	₹ 1,21,000/– (50%)

(II) **प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाईयों का आकलन निम्न प्रकार है:**

क्र.	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू देशी गाय	2	2
2.	बाछा, बाछियाँ	2	1
	कुल:	4	3

(III) **एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यकता एवं उसका मूल्य**

क्र.	मात्रा	दर (रु.)	मूल्य (रु.)
1	(क) सूखा चारा 05 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 X 3X 300) = 45 क्विंटल (ख) सूखा चारा 07 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 X 3X 65) = 13.65 क्विंटल (क+ख) = 58.65 क्विंटल, अर्थात् 59 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू. 700/–	41,300/-
2	(क) हरा चारा 20 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 X 3X 300)= 180 क्विंटल (ख) हरा चारा 15 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 X 3X 65)= 29.25 क्विंटल (क+ख) = 209.25 क्विंटल, अर्थात् 210 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू. 500/–	1,05,000/-
3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 x 2 x 300)= 30 क्विंटल (ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1 X 2 X 65)= 1.30 क्विंटल (ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि. ग्रा. प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष (0.5 X 2 X 365)= 3.65 क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 34.95 क्विंटल, अर्थात् 35 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू. 2400/–	84,000/-
		कुल योग: (1+2+3)	**2,30,300/-**

(IV) **मूल्य ह्रास एवं सूद :**

(क)	देशी गायों पर 12 प्रतिशत की दर से (2,00,000 x 12%)	24,000/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 12 प्रतिशत की दर से	
	(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / जनजाति 48,400 x 12%)	5,324/-
	(शेष वर्गों के लिए 96,800x 12%)	10,648/-
	कुल योग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / जनजाति):	**29,324/-**
	कुल योग (शेष वर्गों के लिए):	**34,648/-**

(V) **आय एवं व्यय :**

(1) **आय :**

(क)	कुल उत्पादित दूध 7,000 ली. का मूल्य, रू. 50 / – प्रति लीटर की दर से 50 x 7000 ली.	3,50,000/-
(ख)	1 बाछी की बिक्री रू. 26,000 / – प्रति बाछी की दर से	26,000/-
(ग)	1 बाछा की बिक्री रू. 8,000 / – प्रति बाछा की दर से	8,000/-
(घ)	गनी बैग की बिक्री (70 x 20)	1,400/-
(ड)	गोबर की बिक्री से	6,000/-
	कुल योग :	**3,91,400/-**

(2) **व्यय :**

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	2,30,300/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	12,000/-
(ग)	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	3,000/-
	कुल योग :	**2,45,300/-**

लाभ	=	(आय – व्यय) = रू. (3,91,400 - 2,45,300) = रू. 1,46,100/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ – मूल्य ह्रास एवं सूद)
अ.पि.व. / अनु. जाति / जनजाति	=	रू. (1,46,100 - 29,324) = रू.1,16,776/-
शेष वर्गों के लिए	=	रू.(1,46,100 - 36,648) = रू. 1,11,452/-

इस प्रकार दो देशी गाय की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रू. 1,16,776/– एवं शेष वर्गों के लिए रू. 1,11,452/– का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

एनेक्सचर–2

04 देशी गाय/बाछी–हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) योजना की आर्थिक रूप–रेखा

1	**आधारभूत मान्यताएँ:**	उन्नत नस्ल की प्रत्येक देशी गाय, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक गाय 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की देशी गाय/बाछी–हिफर का ही क्रय किया जायेगा।		
2	**तकनिकी मापदण्ड:**			
	एक इकाई में कुल देशी गाय की संख्या			4
	प्रत्येक देशी गाय का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन			12 लीटर
3	**प्रति देशी गाय प्रतिदिन चारा की आवश्यकता:**			
	(1) दूध देने की अवधि में–	हरा चारा –		20 कि. ग्रा.
		सुखा चारा–		5 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार–		5 कि. ग्रा.
	(2) विसुखी अवधि में–	हरा चारा –		15 कि. ग्रा.
		सुखा चारा–		7 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार–		1 कि. ग्रा.
4	**वित्तीय गणना:**			
	एक देशी गाय की कीमत –			रू. 1,00,000/–
	प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य–			रू. 50/–
	संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि. ग्रा.–			रू. 24/–
	हरा–चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.–			रू. 5/–
	सूखा–चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.–			रू. 7/–
	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति मवेशी–			रू. 3,000/–
	प्रति गनी बैग बिक्री से आय–			रू. 20/–
	प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी)–			रू. 3,000/–

04 देशी गाय/बाछी–हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर)

(I) **पूँजीगत खर्च:**

1.	देशी गाय–04	प्रति देशी गाय ₹1,00,000 की दर से (प्रति वियान 3,500 लीटर दूध देने की क्षमता) (4 X 10,000.00)	4,00,000/–
2.	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से ₹4,00,000 X 6%	24,000/–
3.	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय	240 वर्ग फीट, प्रति वर्ग फीट रू. 400/– की दर से	96,000/–
		कुल राशि	5,20,000/–

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखा

क्र.	विवरण	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनु. जाति/जनजाति	शेष वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय–	₹ 5,20,000/–	₹ 5,20,000/–
2.	लाभूक का अंशदान–	₹ 26,000/– (5%)	₹ 52,000/– (10%)
3.	बैंक ऋण –	₹ 4,94,000/– (95%)	₹ 4,68,000/– (90%)
4.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान–(Back Ended)	₹ 3,90,000/– (75%)	₹ 2,60,000/– (50%)

(II) **प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाईयों का आकलन निम्न प्रकार है:**

क्र.	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू देशी गाय	4	4
2.	बाछा, बाछियाँ	4	2
	कुल:	8	6

(III) **एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यकता एवं उसका मूल्य**

क्र.	मात्रा	दर (रु.)	मूल्य (रु.)
1	(क) सूखा चारा 05 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 X 6 X 300)= 90 क्विंटल (ख) सूखा चारा 07 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 X 6X 65) = 27.30 क्विंटल (क+ख) = 117.30 क्विंटल, अर्थात् 118 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू. 700/–	82,600/-
2	(क) हरा चारा 20 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 X 6 X 300) = 360 क्विंटल (ख) हरा चारा 15 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 X 6X 65)= 58.50 क्विंटल (क+ख) = 418.50 क्विंटल, अर्थात् 419 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू. 500/–	2,09,500/-
3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 X 4 X 300)= 60 क्विंटल (ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1X 4 X 65)= 2.60 क्विंटल (ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि. ग्रा. प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष के लिये (0.5 X 4 X 365) = 7.30 क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 69.90 क्विंटल, अर्थात् 70 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू. 2400/–	1,68,000/-
	कुल योग: (1+2+3)		**4,60,100/-**

(IV) **मूल्य ह्रास एवं सूद :**

(क)	देशी गायों पर 12 प्रतिशत की दर से (4,00,000 x 12%)	48,000/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 11 प्रतिशत की दर से	
	(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / जनजाति 1,04,000 x 11%)	11,440/-
	(शेष वर्गों के लिए 2,08,800x 11%)	22,880/-
	कुल योग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / जनजाति):	**59,440/-**
	कुल योग (शेष वर्गों के लिए):	**70,880/-**

(V) **आय एवं व्यय :**

(1) **आय :**

(क)	कुल उत्पादित दूध 14,000 ली. का मूल्य, रू. 50 / – प्रति लीटर की दर से	7,00,000/-
(ख)	2 बाछी की बिक्री रू. 26,000 / – प्रति बाछी की दर से	52,000/-
(ग)	2 बाछा की बिक्री रू. 8,000 / – प्रति बाछा की दर से	16,000/-
(घ)	गनी बैग की बिक्री (140 x 20)	2,800/-
(ड)	गोबर की बिक्री से (3000 x 4)	12,000/-
	कुल योग :	**7,82,800/-**

(2) **व्यय :**

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	4,60,100/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	24,000/-
(ग)	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	6,000/-
	कुल योग :	**4,90,100/-**

लाभ	=	(आय – व्यय) = रू. (7,82,800 - 4,90,100) = रू. 2,92,700/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ – मूल्य ह्रास एवं सूद)
अ.पि.व. / अनु. जाति / जनजाति	=	रू. (2,92,700 - 59,440) = रू. 2,33,260/-
शेष वर्गों के लिए	=	रू.(2,92,700 - 70,880) = रू. 2,21,820/-

इस प्रकार चार देशी गाय की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रू. 2,33,260/– एवं शेष वर्गो के लिए रू. 2,21,820/– का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना 2024–25

02 देशी गाय पर व्यय की रूप–रेखा:

क्र.	विवरण	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनु. जाति/जनजाति	शेष वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय–	₹ 2,42,000/–	₹ 2,42,000/–
2.	लाभूक का अंशदान–	₹ 12,100/– (5%)	₹ 24,200/– (10%)
3.	बैंक ऋण –	₹ 2,29,900/– (95%)	₹ 2,17,800/– (90%)
4.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान–(Back Ended)	₹ 1,81,500/– (75%)	₹1,21,000/– (50%)

04 देशी गाय पर व्यय की रूप–रेखा:

क्र.	विवरण	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनु. जाति/जनजाति	शेष वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय (शेड सहित)	₹ 5,20,000/–	₹ 5,20,000/–
2.	लाभूक का अंशदान–	₹ 26,000/– (5%)	₹ 52,000/– (10%)
3.	बैंक ऋण –	₹ 4,94,000/– (95%)	₹ 4,68,000/– (90%)
4.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान–(Back Ended)	₹ 3,90,000/– (75%)	₹2,60,000/– (50%)

देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष 2024–25
स्वलागत से अनुदान की राशि जारी करने हेतु दावा विपत्र (2 प्रति में)

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी, ...

विषय :–.....इकाई की स्थापना हेतु अनुदान राशि निर्गत करने के लिए दावा विपत्र के संबंध में।

1	लाभार्थी का नाम–	
	पिता / पति का नाम –	
2	ग्राम–	पोस्ट –
	थाना –	प्रखंड –
	पंचायत –	जिला –
3	कोटि – (सामान्य / अत्यन्त पिछड़ा) वर्ग / अनु.जाति / अनुजनजाति.....	मो. न.–
4	स्थापित परियोजना का नाम एवं इकाई का आकार –	
5	बैंक / शाखा का नाम –	
	लाभुक का खाता सं.–	
	बैंक का IFSC Code-	
6	परियोजना पर कुल लागत व्यय –	₹
7	लाभुक द्वारा वहन किया गया राशि –	₹
	नियमानुसार परियोजना हेतु अनुदान राशि का दावा	
8	देशी गाय / बाछी–हिफर हेतु–	₹
	पशु बीमा हेतु –	₹
	पशुशाला निर्माण हेतु –	₹
	साज – सज्जा हेतु –	₹
	दावा की गई कुल राशि –	₹
9	योजना की प्रगति –	

अनुरोध है कि अनुदान की राशि ₹.....

विमुक्त करने की कृपा की जाय ।

आवेदक का हस्ताक्षर

देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान राशि निर्गत करने हेतु दावा विपत्र

बैंक एवं शाखा का नाम तथा पता: ....., पत्र/दावा विपत्र संख्या: ....., दिनांक: .....

मो0/दूरभाष संख्या : .....

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,.....

विषय:..... इकाई की स्थापना हेतु अनुदान राशि निर्गत करने के लिए दावा विपत्र के संबंध में।

1	उद्यमकर्त्ता का नाम–	
2	उद्यमकर्त्ता का पूर्ण पता–	ग्राम : ..... पोस्ट : ..... थाना : ..... प्रखण्ड : ..... जिला : ..... पिनकोड : मो0/दूरभाष संख्या–
3	कोटि–	सामान्य ☐ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग ☐ अनु. जाति ☐ अनु. जनजाति ☐
4	स्थापित परियोजना का नाम एवं स्थापित ईकाई का आकार–	
5	परियोजना स्थापित करने के स्थान का नाम एवं पता–	ग्राम : ..... पोस्ट : ..... थाना : ..... प्रखण्ड : ..... जिला : ..... पिनकोड :
6	IFSC कोड के साथ अनुदान प्राप्ति हेतु बैंक का खाता संख्या	खाता संख्या– IFSC कोड–

7	परियोजना पर कुल लागत व्यय–	रू0	
8	परियोजना हेतु कुल स्वीकृत ऋण एवं ब्याज दर–	रू0	ब्याज दर– तिथि–
9	स्वीकृत ऋण का खाता संख्या एवं तिथि–	खाता सं0–	
10	लाभूक द्वारा वहन किया गया मार्जिन मनी–	रू0	तिथि–
11	ऋण खाता में अब तक विमुक्त राशि –	रू0	
12	लाभूक द्वारा वहन किया जाने वाला EMI –	रू0	
13	नियमानुसार परियोजना हेतु अनुदान राशि का दावा–		
	(i) देशी गाय हेतु –	रू0	
	(ii) पशु बीमा हेतु –	रू0	
	(iii) पशुशाला निर्माण हेतु –	रू0	
	(iv) परिवहन व्यय हेतु –	रू0	
	दावा की गयी कुल अनुदान राशि –	रू0	
14	परियोजना से संबंधित अन्य कोई जानकारी–		

अतः हम अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त उद्यमकर्त्ता के लिये राशि अनुदान के रूप में रू.....

(.....) मात्र विमुक्त किया जाय।

स्थान : .....

दिनांक : .....

अनिवार्य अनुलग्नक–

(i) पशु क्रय प्रतिवेदन। (ii) आपूर्तिकर्त्ता का रसीद। (iii) पशु चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। (iv) पशु बीमा रसीद टैग नम्बर सहित। (v) लाभूक का स्थापित किये गये Asset के साथ रंगीन फोटो।

बैंक के शाखा प्रबंधक का सील एवं हस्ताक्षर
(वित्त पोषक बैंक)

देशी गाय/बाछी–हिफर का क्रय प्रतिवेदन (देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना)

कार्यालय का नाम–　　बैक का नाम/स्वलागत–　　दिनांक

क्र0	देशी गाय/बाछी–हिफर का विवरण	नस्ल	उम्र	रंग	पहचान चिन्ह का विवरण	देशी गाय/बाछी–हिफर का स्वास्थ्य	दूध की मात्रा (कि0ग्रा0)				देशी गाय/बाछी–हिफर का मूल्य (रू0)	बीमा का विवरण टैग नम्बर सहित	अभ्युक्ति (डाटा ईयर टैग नं0)
							1	2	3	4			
							प्रथम दुहाई	द्वितीय दुहाई	तृतीय दुहाई	औसत दुहाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

लाभूक का नाम–
पिता/पति का नाम–
ग्राम/मु0–
पोस्ट–
थाना–
प्रखण्ड–
जिला नाम–
मो0/दूरभाष संख्या–

मैं अपनी पसन्द का देशी गाय/बाछी– हिफर क्रय कर रहा/रही हूँ।

देशी गाय/बाछी– हिफर का स्वास्थ्य परीक्षण मेरे द्वारा किया गया।
मवेशी स्वस्थ एवं निरोग है। क्रय की अनुशंसा की जाती है।

पशु चिकित्सक का हस्ताक्षर एवं मुहर
मो. सं.

लाभान्वित का हस्ताक्षर

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

बैंक प्रबंधक
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

बीमा पदाधिकारी
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि क्रय किये गये देशी गाय/बाछी– हिफर को डाटा ईयर टैग लगा दिया गया है।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना)

जिला का नाम : ..... दिनांक : .....

पशु हाट एवं स्थान का नाम : .....

1 देशी गाय / बाछी–हिफर क्रेता का नाम .....

2 पिता / पति का नाम .....

3 क्रेता का पता–

ग्राम : ..... पोस्ट : ..... थाना: .....

जिला : .....प्रखण्ड : .....मो0 / दूरभाष संख्या : .....

4 वित्तीय संस्था का नाम (बैंक) / स्वलागत .....

5 पशु का पहचान चिन्ह (डाटा इयर टैग नं.) .....

6 पशु की जाति / नस्ल.....

7 पशु का लिंग ..... रंग ..... अन्य चिन्ह .....

8 पशु का उम्र ..... वर्ष ..... महीना .....

9 पशु की उँचाई ..... फीट ..... ईंच .....

10 पशु की लम्बाई ..... फीट ..... ईंच .....

11 बियान की संख्या .....

12 पशु क्रय की तिथि .....

13 पशु का अनुमानित मूल्य .....

पशु चिकित्सक का हस्ताक्षर

कार्यालय का नाम एवं मुहर–

पशु चिकित्सक का नाम–

पशु चिकित्सक का मो. न.–

गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

(क) वित्तीय वर्ष 2024–25 में देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत सभी वर्ग के लिए 50% अनुदान तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 75% अनुदान पर 02 एवं 04 दुधारू देशी गाय की डेयरी इकाई के स्थापना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र.	जिला	02 देशी गाय				04 देशी गाय				कुल	
		सामान्य वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		सामान्य वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	औरंगाबाद	18	2178000	3	544500	6	1560000	1	390000	28	4672500
2	रोहतास	17	2057000	2	363000	5	1300000	1	390000	25	4110000
3	कैमूर	17	2057000	2	363000	5	1300000	1	390000	25	4110000
4	अररिया	16	1936000	2	363000	4	1040000	1	390000	23	3729000
5	अरवल	16	1936000	2	363000	4	1040000	1	390000	23	3729000
6	जहानाबाद	17	2057000	2	363000	5	1300000	1	390000	25	4110000
7	बांका	17	2057000	2	363000	5	1300000	1	390000	25	4110000
8	भागलपुर	17	2057000	3	544500	6	1560000	1	390000	27	4551500
9	गोपालगंज	17	2057000	2	363000	4	1040000	1	390000	24	3850000
10	पूर्वी चम्पारण	17	2057000	2	363000	4	1040000	1	390000	24	3850000
11	प0 चम्पारण	30	3630000	6	1089000	9	2340000	1	390000	46	7449000
12	जमुई	16	1936000	3	544500	4	1040000	1	390000	24	3910500
13	किशनगंज	16	1936000	2	363000	4	1040000	1	390000	23	3729000
14	कटिहार	17	2057000	3	544500	4	1040000	1	390000	25	4031500
15	लखीसराय	17	2057000	3	544500	5	1300000	1	390000	26	4291500
16	बेगूसराय	17	2057000	3	544500	5	1300000	1	390000	26	4291500
17	मधुबनी	17	2057000	2	363000	5	1300000	1	390000	25	4110000
18	दरभंगा	17	2057000	3	544500	4	1040000	1	390000	25	4031500
19	समस्तीपुर	17	2057000	3	544500	5	1300000	1	390000	26	4291500
20	मधेपुरा	17	2057000	2	363000	5	1300000	1	390000	25	4110000
21	सहरसा	16	1936000	2	363000	5	1300000	1	390000	24	3989000
22	मुंगेर	18	2178000	3	544500	6	1560000	1	390000	28	4672500
23	खगड़िया	17	2057000	3	544500	5	1300000	1	390000	26	4291500
24	नालन्दा	30	3630000	6	1089000	9	2340000	1	390000	46	7449000
25	नवादा	16	1936000	2	363000	5	1300000	1	390000	24	3989000
26	गया	17	2057000	2	363000	5	1300000	1	390000	25	4110000
27	पूर्णियाँ	17	2057000	3	544500	5	1300000	1	390000	26	4291500
28	पटना	30	3630000	6	1089000	9	2340000	1	390000	46	7449000
29	भोजपुर	16	1936000	2	363000	5	1300000	1	390000	24	3989000
30	बक्सर	16	1936000	2	363000	5	1300000	1	390000	24	3989000
31	शेखपुरा	15	1815000	2	363000	5	1300000	1	390000	23	3868000
32	सीतामढ़ी	16	1936000	2	363000	5	1300000	1	390000	24	3989000
33	शिवहर	15	1815000	2	363000	4	1040000	1	390000	22	3608000
34	मुजफ्फरपुर	17	2057000	2	363000	5	1300000	1	390000	25	4110000
35	सुपौल	15	1815000	2	363000	5	1300000	1	390000	23	3868000
36	सारण	17	2057000	3	544500	5	1300000	1	390000	26	4291500
37	वैशाली	17	2057000	3	544500	5	1300000	1	390000	26	4291500
38	सीवान	17	2057000	2	363000	5	1300000	1	390000	25	4110000
कुल		**672**	**81312000**	**101**	**18331500**	**196**	**50960000**	**38**	**14820000**	**1007**	**165423500**

(रूपये सोलह करोड़ चौवन लाख तेइस हजार पांच सौ) मात्र

गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

(ख) वित्तीय वर्ष 2024–25 में देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 75% अनुदान पर 02 एवं 04 दुधारू देशी गाय की डेयरी इकाई हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र.	जिला	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति		कुल	
		02 देशी गाय		04 देशी गाय		02 देशी गाय			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	औरंगाबाद	6	1089000	2	780000	0	0	8	1869000
2	रोहतास	5	907500	2	780000	6	1089000	13	2776500
3	कैमूर	5	907500	1	390000	7	1270500	13	2568000
4	अररिया	8	1452000	2	780000	8	1452000	18	3684000
5	अरवल	5	907500	2	780000	0	0	7	1687500
6	जहानाबाद	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
7	बांका	5	907500	2	780000	8	1452000	15	3139500
8	भागलपुर	6	1089000	1	390000	6	1089000	13	2568000
9	गोपालगंज	6	1089000	1	390000	7	1270500	14	2749500
10	पूर्वी चम्पारण	6	1089000	2	780000	0	0	8	1869000
11	प0 चम्पारण	10	1815000	4	1560000	10	1815000	24	5190000
12	जमुई	6	1089000	2	780000	7	1270500	15	3139500
13	किशनगंज	6	1089000	2	780000	7	1270500	15	3139500
14	कटिहार	5	907500	1	390000	6	1089000	12	2386500
15	लखीसराय	6	1089000	2	780000	0	0	8	1869000
16	बेगूसराय	6	1089000	1	390000	0	0	7	1479000
17	मधुबनी	6	1089000	2	780000	0	0	8	1869000
18	दरभंगा	6	1089000	2	780000	0	0	8	1869000
19	समस्तीपुर	6	1089000	1	390000	0	0	7	1479000
20	मधेपुरा	6	1089000	1	390000	7	1270500	14	2749500
21	सहरसा	5	907500	1	390000	6	1089000	12	2386500
22	मुंगेर	6	1089000	2	780000	6	1089000	14	2958000
23	खगड़िया	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
24	नालन्दा	10	1815000	4	1560000	0	0	14	3375000
25	नवादा	6	1089000	2	780000	0	0	8	1869000
26	गया	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
27	पूर्णियाँ	6	1089000	2	780000	8	1452000	16	3321000
28	पटना	10	1815000	4	1560000	0	0	14	3375000
29	भोजपुर	5	907500	1	390000	6	1089000	12	2386500
30	बक्सर	6	1089000	1	390000	6	1089000	13	2568000
31	शेखपुरा	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
32	सीतामढ़ी	6	1089000	1	390000	0	0	7	1479000
33	शिवहर	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
34	मुजफ्फरपुर	6	1089000	1	390000	0	0	7	1479000
35	सुपौल	5	907500	1	390000	7	1270500	13	2568000
36	सारण	8	1452000	1	390000	6	1089000	15	2931000
37	वैशाली	6	1089000	1	390000	0	0	7	1479000
38	सीवान	5	907500	1	390000	6	1089000	12	2386500
कुल		**230**	**41745000**	**61**	**23790000**	**130**	**23595000**	**421**	**89130000**

(रूपये आठ करोड़ एकानवे लाख तीस हजार सौ) मात्र

शपथ पत्र

समक्ष,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी

.....

मैं, ...

पिता/पति का नाम –

ग्राम –

पोस्ट –

प्रखंड –

जिला –

सघर्म एवं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि –

1. मैं बैंक द्वारा/स्वलागत वित्त पोषण के तहत देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष 2024–25 में डेयरी इकाई स्थापित करना चाहता/चाहती हूँ।

2. मैं देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत मवेशी का क्रय जिला के अधिकृत आपूर्त्तिकर्त्ता/राज्य के बाहर के अधिकृत आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा क्रय समिति के समक्ष करने को तैयार हूँ।

2. मैं देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत क्रय की गई मवेशी को तीन वर्ष के अन्दर बेच देता हूँ तो मेरे उपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

3. मैं पशुशाला का निर्माण हो जाने के पश्चात् जिला के अधिकृत आपूर्त्तिकर्त्ता/राज्य के बाहर के अधिकृत आपूर्त्तिकर्त्ता से योजनानुसार मवेशी क्रय कर, मवेशी क्रय प्रतिवेदन, मवेशी का फोटो, आपूर्त्तिकर्त्ता का रशीद, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, शेड निर्माण विपत्र, शेड का फोटो एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति सभी कागजात की प्रति बैंक/कार्यालय को उपलब्ध कराऊँगा/कराऊँगी।

4. मैं विभागीय राज्यादेश के अनुसार डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए तैयार हूँ।

5. मैंने विगत तीन वर्षों में इस योजना के तहत गव्य विकास कार्यालय, .../गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं से अनुदान की राशि प्राप्त नहीं किया है।

6. उपरोक्त कथन के विरूद्ध कार्य करने पर मेरे उपर कानुनी कार्रवाई की जा सकती है, जो मुझे मान्य होगा।

पहचान कर्त्ता का हस्ताक्षर

शपथ कर्त्ता का हस्ताक्षर

महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार हेतु गव्य विकास की योजनाऐं अपनायें।

गौ पालन – सुख, समृद्धि और सम्मान

गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा जनहित में प्रचारित।